न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 54/2018

1. चौथूराम
2. ग्यारसीलाल पुत्रान भोलाराम जाति माली निवासीगण ग्राम गिरधरपुरा–शाहपुरा तह0 नवलगढ

–वादीगण

बनाम

1. दुर्गीदेवी पत्नी भोलाराम
2. सांवरमल पुत्र भोलाराम
3. बनाराम
4. जगनाराम पुत्रान हरया
5. झाबरमल
6. भागीरथ
7. छोटूराम
8. रूघनाथ पुत्रान मूलाराम
9. अणची पत्नी भोलूराम
10. गोपाल
11. जवाहरा
12. तेजाराम पुत्रान भोलूराम
13. शकरी पत्नी राजू
14. सुभाष
15. मुकेश पुत्रान राजू जाति माली निवासीगण गिरधरपुरा–शाहपुरा तहसील नवलगढ
16. प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी तह0 उदयपुरवाटी
17. प्रबंधक राज0 ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ
18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

वकील वादीगण – श्री विप्पलव पंडित
वकील प्रति0 – विजयसिंह जाखड

निर्णय

निर्णय तिथि 13.05.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम गिरधरपुरा–शाहपुरा की सरहद मे नई खाता सं0 72 की भूमि ख.न. 648/0.04 है0 स्थित है तथा खाता सं0 71 की भूमि ख.न. 643/0.01, 644/1.51, 645/0.67 किता 3 कुल रकबा 2.19 है0 स्थित है तथा खाता सं0 69 की भूमि ख.न. 685/0.34 है0 स्थित है। राजस्व ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की सरहद मे खाता सं0 70 की भूमि ख.न. 640/1.88, 641/0.06, 642/1.24, 646/0.77, 647/0.62, 649/0.89, 650/0.19, 662/1.44 है0 किता 8 कुल रकबा 7.09 है0 स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि मे उक्त वाद बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया जा रहा है जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित खाता सं0 72 की भूमि ख.न. 648, खाता सं0 71 की भूमि ख.न. 643, 644, 645, खाता सं0 70 की भूमि ख.न. 640, 641, 642, 646, 647, 649, 650, 662 मे 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के पूर्वज हरया तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न. 5 के पूर्वज मूला का था तथा खाता सं0 69 की भूमि ख.न. 685 वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पूर्वज हरया की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज रही है, जिसके समर्थन मे जमाबंदी संवत 2048 से 2051 पेश है। वादीगण का विवाद मात्र हरया की भूमि को लेकर प्रतिवादी नं. 3 व 4 से है, प्रतिवादी न. 5 लगायत 15 सहखातेदार है, इसलिये पक्षकार संयोजित किये गये है तथा प्रतिवादी न. 1 व 2 वादीगण के साथ है परन्तु वाद पत्र पेश करने के समय उपस्थित नही होने से वाद पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाना संभव नही होने के कारण परफोर्मा डिफेंडेन्ट बनाये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

परोक्त वर्णित खाता सं0 70, 71, 72 की भूमि में 1/2 हिस्सा तथा खाता सं0 69 में सम्पूर्ण वादीगण प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पूर्वज हरया पुत्र श्यामू का था, हरया के सन 1948 में फौत होने पर फौतगी का नामान्तकरण हरया के उतराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 व हरया की पत्नी भूरी के नाम भरा गया अर्थात खाता सं0 70, 71, 72 की भूमि में 1/8 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम, 1/8 हिस प्रतिवादी नं. 3 के नाम, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4 के तथा 1/8 हिस्सा हरया की पत्नी भूरी के नाम दर्ज हुआ तथा खाता सं0 69 की भूमि में 1/4 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 के नाम, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 4 के नाम तथा 1/4 हिस्सा हरया पत्नी भूरा के नाम दर्ज हुआ, जिसका कोई विवाद नही है।

दर्ज किया जा रहा है कि हरया के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण सही भरा गया तथा खातेदारी उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई, सन 1999 में हरया की पत्नी भूरी फौत हुई तथा भूरी के फौत होने पर उसकी फौतगी का नामान्तकरण तस्दीक हुये जो भूरी के मृत पुत्र भोलाराम के वारिसान व वादीगण व प्रतिवादी नं.. 1 व 2 तथा पुत्रान प्रतिवादी नं. 3 व 4 के नाम से तस्दीक हुये तथा भूमि खाता सं0 70, 71, 72 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 4 का 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ तथा खाता सं0 69 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। इसी अनुसार नामान्तकरण में हिस्सेदारी दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल के कारण भूरी की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण तस्दीक होने के बाद संवत 2060 से 2063 की जमाबंदी में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 की हिस्सेदारी गलत दर्ज कर दी, जिससे आगे का रिकार्ड भी गलत दर्ज होता चला गया। खाता सं0 70, 71, 72 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 4 का 1/6 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने गलती से खाता सं0 70, 71, 72 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 व 4 का 3/8 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 व 4 का 2/6 हिस्सा दर्ज करना चाहिये था, इसी प्रकार खाता सं0 69 की भूमि में वादीगण प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 व 4 का 2/3 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 3 व 4 का 3/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया, जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर क्लाउड आ गया है, परन्तु खातेदारी गलत दर्ज है जिसको सही व दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। इसिलये वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित खाता सं0 70 की भूमि ख.न. 640/1.88, 641/0.06, 642/1.24, 646/0.77, 647/0.62, 649/0.89, 650/0.19, 662/1.44 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.09 है0 खाता सं0 71 की भूमि ख.न. 643/0.01, 644/1.51, 645/0.67 किता 3 कुल रकबा 2.19 है0 खाता सं0 72 की भूमि ख.न. 648/0.04 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 4 को 1/6 हिस्से का तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता सं0 69 की भूमि ख.न. 685/0.34 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसके लिये उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने प्रतिवादी नं. 3 व 4 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी नं. 3 व 4 हमेशा ही टालते आये हैं दिनांक 07.04.18 को वादीगण ने प्रतिवादी नं. 3 व 4 को कहा तो स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया, फलस्वरूप वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी सं0 खाता सं0 70 की भूमि ख.न. 640/1.88, 641/0.06, 642/1.24, 646/0.77, 647/0.62, 649/0.89, 650/0.19, 662/1.44 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.09 है0 खाता सं0 71 की भूमि ख.न. 643/0.01, 644/1.51, 645/0.67 किता 3 कुल रकबा 2.19 है0 खाता सं0 72 की भूमि ख.न. 648/0.04 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 4 को 1/6 हिस्से का तथा शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता सं0 69 की भूमि ख.न. 685/0.34 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बबवगढ

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. लगायत 6, 8 लगायत 18 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 7 की और से वकील श्री विजेन्द्रसिंह जाखड का वकालतनामा व इकबालिया जबाबदावा प्रस्तुत किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया गया। अतः शहादत वादीगण ली जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबंदी ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा संवत 2068 से 2071 के अनुसार भूमि खाता सं0 70 के अनुसार भूमि ख.न. 640/1.88, 641/0.06, 642/1.24, 646/0.77, 647/0.62, 649/0.89, 650/0.19, 662/1.44 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 7.09 है0 की खातेदारी चोथूराम ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलाराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलाराम हि0 1/8 बनाराम जगनाराम पि0 हरया हि0 3/8 शकरी पत्नी स्व0 राजू सुभाष मुकेश पुत्र राजू गोपाल जवाहरा तेजाराम पि0 भोलूराम अणची पत्नी स्व0 भोलूराम हि0 1/10 झाबरमल भागीरथमल छोटूराम रघुनाथ पि0 मुला व.हि.व. 4/10, कौम माली सा.दे. खातेदार राहिन जगनाराम पुत्र हरिया रहन एसबीबीजे कृषि शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन राहिन बन्नाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 रहन राज.ग्रा.बैंक परसरामपुरा मूर्तहीन राहिन छोटू पुत्र मूलाराम हि0 1/10 राज. ग्रा.बैंक शाखा परसरामपुरा मूर्तहीन राहिन जवाहराराम पुत्र भोलाराम हि0 1/50 रहन राज.ग्रा.बैंक परसरामपुरा मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट है कि नामा0 सं0 1355 नि.दि. 09.04.12 रहनमुक्त जगनाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 स्वीकार। नामा0सं0 1362 नि.दि. 01.05.2012 रहननामा राहिन जगनाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 रहन बीओबी शाखा नवलगढ। नामा0सं0 1428 नि.दि. 31.12.2012 रहननामा झाबरमल पुत्र मूला हि0 1/10 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी। नामा0सं0 1444 नि.दि. 21.01.2012 रहनमुक्त जगनाराम पिता हरिया हि0 3/16 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1470 नि.दि. 25.05.2013 रहननामा राहिन जगनाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 जाति माली बीओबी उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1480 नि.दि. 07.06.2013 रहननामा राहिन चोथूराम पुत्र भोलाराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलाराम हि01/16 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन। नामा0सं0 1560 नि. दि. 01.04.2014 रहननामा राहिन ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलाराम हि0 1/16 बीओबी उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार। नामा0सं0 1591 नि.दि. 27.05.2014 रहननामा राहिन रघुनाथ पि0 मूला हि0 1/10 बैंक आफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1679 नि.दि. 06.05.2015 रहनमुक्त जगनाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1725 नि.दि. 15.09.2015 रहननामा राहिन गोपाल पि0 भोलूराम हि0 1/50 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1864 नि.दि. 05.05.17 रहन तेजाराम पि0 भोलाराम हि0 2/50 राहिन ग्रा.ब0 क्षे. शाखा परसरामपुरादर्ज रिकार्ड है।

जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता सं0 71 की भूमि ख.न. 643/0.01, 644/1.51, 645/0.67 किता 3 कुल रकबा 23.19 है0 की खातेदारी चोथूराम ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलूराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलूराम बनाराम जगनाराम पि0 हरिया गोपाल जवाहराराम तेजाराम पि0 भोलूराम अणची पत्नी स्व0 भोलूराम शकरी पत्नी स्व0 राजू सुभाष मुकेश पु0 राजू झाबरमल भागीरथ छोटूराम रघुनाथ पि0 मूला कौम माली सा.दे.खातेदार राहिन जवाहरा तेजा पुत्र भोलूराम अणची पत्नी स्व0 [illegible]राम शकरी पत्नी स्व0 राजू सुभाष मुकेश पुप0 राजू हि0 1/10 राहिनह जगनाराम पुत्र हरिया रहन एसबीबीजे कृषि शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन राहिन छोटू पुत्र मूलाराम हि0 1/10 राज0ग्रा0बैंक शाखा परसरामपुरा मूर्तहीन जवाहराराम पुत्र भोलाराम हि0 1/50 रहन राज0ग्रा0बैंक परसरामपुरा मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0 सं0 1355 नि.दि. 09.04.12 रहनमुक्त जगनाराम पुत्र हरिया हि0 1/6 स्वीकार। नामा0सं0 1362 नि.दि. 01.05.2012 रहननामा राहिन जगनाराम पुत्र हरिया हि0 1/16 रहन बीओबी शाखा नवलगढ। नामा0सं0 1428 नि.दि. 31.12.2012 रहननामा झाबरमल पुत्र मूला हि0 1/10 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी। नामा0सं0 1445 नि.दि. 21.01.2012 रहनमुक्त जगनाराम पिता हरिया हि0 1/16 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1470 नि.दि. 25.02.2013 रहननामा राहिन जगनाराम पुत्र हरिया हि0 1/16 जाति माली बीओबी उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1480 नि.दि. 07.06.2013 रहननामा राहिन चोथूराम पुत्र भोलाराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलाराम हि0 1/12 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन। नामा0सं0 1560 नि.दि. 01.04.2014 रहननामा राहिन ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलाराम हि0 1/12 बीओबी उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार। नामा0सं0 1591 नि.दि. 27.05.2014 रहननामा राहिन रघुनाथ पि0 मूला हि0 1/10 बैंक आफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1679 नि.दि. 06.05.2015

उप खण्ड अधिकारी
नवलगढ

रहनमुक्त जगनाराम पुत्र हरिया हि0 1/16 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर। नामा0सं0 1735 नि.दि. 15. 12.2015 रहनरहन बन्नाराम पुत्र हरिया राहिन बीओबी शाखा उदयपुरवाटी तथा नामा0सं0 1844 नि.दि. 05.05.2017 रहन तेजाराम पिता भोराम अणचीदेवी पत्नी स्व0 भोलाराम हि0 1/25 राहिन व. राज0 ग्रा0 क्षे0 बैंक शाखा परसरामपुरा मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के अनुसार खाता सं0 72 की भूमि ख.न. 648/0.04 है0 की खातेदारी चोथूराम ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलूराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलूराम व.हि.व. हि. 1/8 बनाराम जगनाराम पि0 हरिया हि0 3/8 मूला पि0 श्यामू हि0 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1480 नि.दि. 07.06.2013 रहननामा राहिन चोथूराम पुत्र भोलाराम दुर्गी पत्नी स्व0 भोलाराम हि01/16 बीओबी शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन। नामा0सं0 1679 नि.दि. 06.05.2015 रहनमुक्त जगनाराम पुत्र हरिया हि0 3/16 रहनमुक्त स्वीकार शेष बदस्तूर।

नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता सं0 69 की भूमि ख.न. 1/0.34 है0 की खातेदारी चोथूराम ग्यारसीलाल सांवरमल पि0 भोलूराम दुर्गा पत्नी स्व0 भोलूराम हि0 1/4 बनाराम जगनाराम पि0 हरिया हि0 3/4 कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1735 नि.दि. 15.12.15 रहन बनाराम पुत्र हरिया हि0 3/8 राहिन बीओबी शाखा उदयपुरवाटी मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।

वाद में वर्णित वंशावली के अनुसार श्यामू के दो पुत्र हरया व मूला हुये जो फौत हो चुके हैं। हरया के वारिसान भूरी पत्नी, भोलाराम बनाराम व जगनाराम हुये। भूरी व भोलाराम फौत हो जाने से भोलाराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 हुये तथा भूरी के फौत होने पर उसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 बराबर बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार हुये। मूला के वारिसान प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 हैं। राजस्व रिकार्ड में भूरी के फौत होने पर उसके हक अधिकार की भूमि का नामा0 उसके सभी वारिसान के नाम से समान दर्ज नही होकर खाता सं0 70 व 72 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के हिस्से में 1/6 के स्थान पर 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया तथा खाता सं0 69 में 1/3 के स्थान पर 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खाता सं0 70 किता 8 कुल रकबा 7.09 है0, खाता सं0 71 किता 3 कुल रकबा 2.19 है0, में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 को 1/2 हिस्से का खाता सं0 72 किता 1 कुल रकबा 0.04, में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रति0स0 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिसरो तथा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 को 1/2 हिस्से का, तथा खाता सं0 69 के ख.न. 685/0.34 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम वईजलास

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़.

<u>दावां बाबत : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड</u>

मुकदमा सं0:— 54/2018 (चौथूराम आदि बनाम दुर्गीदेवी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.05.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा की भूमि खाता सं0 70 किता 8 कुल रकबा 7.09 है0, खाता सं0 71 किता 3 कुल रकबा 2.19 है0, में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 15 को 1/2 हिस्से का खाता सं0 72 किता 1 कुल रकबा 0.04, में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/6 हिस्से का, प्रति0स0 3 व 4 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिससे तथा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 8 को 1/2 हिस्से का, तथा खाता सं0 69 के ख.न. 685/0.34 है0 में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी नं. 3 व 4 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

जिन..........–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह..........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बसिक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 05 सन..2019 को जारी की गई।

13-5-19

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत .	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	07.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner